न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 12/2010
3. उनवान : 1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।

   2. निदेशक पशुपालन विभाग, निदेशालय, टोंक रोड, जयपुर जरिये कैश प्रभारी उपनिदेशक कुक्कुट पशुपालन विभाग जयपुर।

बनाम

श्री मुंशीराम पुत्र श्री मथुरा दास लांबा निवासी श्रीधर ठेकेदार का मकान, मिनर्वा सिनेमा के पीछे, सांगानेरी गेट, जयपुर हाल निवासी भूखण्ड सं0 24 कुक्कुट सम्पदा जामडोली आगरा रोड जयपुर।

4. निर्णय दिनांक :11.07.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री कमल साहू प्रार्थी की ओर से।

   ब) अधिवक्ता श्री मो. असलम अप्रार्थी की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 5 राज पब्लिक प्रमाइसेज (इवेक्सिन ऑफ अनओथोराइज्ड ओक्यूपेन्टएक्ट) 1964 नियम 1966

उपस्थापक अधिकारी एवं सहायक निदेशक, राज. कुक्कुटशाला, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 राज पब्लिक प्रमाइसेज (इवेक्सिन ऑफ अनओथोराइज्ड ओक्यूपेन्टएक्ट) 1964 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पशुपालन विभाग को 76 एकड भूमि जामडोली में कुक्कुट शाला के लिये राज्य सरकार द्वारा आंवटन की गई, जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया गया है, जिसका आदेश क्रमांक प0/(1)(8) राज0/3/72 दिनांक 3/4/1972 एवं आदेश क्रमांक एफ–16(17)/3/73 दिनांक 21.8.1976 एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी आदेश एवं आवंटित भूमि कुक्कुट सम्पदा जामडोली के नाम जमाबंदी में है, जिसके अनुसार ग्राम जामडोली तहसील जयपुर में ख0न0 473, 474, 475, 476, 477 की 121 बीघा 16 बिस्वा भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रार्थीगण में निहित था।

यह राजस्थान सरकार की ओर से निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा मिलयन रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कुक्कुट पालकों को कुक्कुट सम्पदा जामडोली आगरा रोड जयपुर में कुक्कुट पालन के रोजगार हेतु सस्ती दर पर 25 वर्ष की लीज अवधि के लिये 1500–1500 वर्ग मीटर के भूखण्ड आवंटित किये गये थे।

अप्रार्थी श्री मुंशीराम के नाम भी भूखण्ड संख्या–24 जरिये आदेश क्रमांक एफ.डी 8(19)विकास/65/14609–12 दिनांक 07.12.1976 आवंटित किया गया। उपरोक्त आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर है। प्रार्थी एवं विभाग के मध्य निष्पादित लीज डीड की शर्तों की पालना दोनों पक्षों को अक्षरशः करनी थी, दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित लीज डीड दिनांक 22/06/1977 से 25 वर्ष की अवधि के लिये दिया गया था एवं लीज की शर्तों की अवहेलना करने पर लीज निरस्त करने का विधान स्थापित है। जिसके अनुसरण में अप्रार्थी द्वारा लीज की शर्तों की पालना नहीं करने पर लीज दिनांक 22.07.1996 निरस्त कर दी गई थी। इसी के साथ उक्त आवंटित भूखण्ड सं0 24 की लीज अवधि दिनांक 21/06/2002 को समाप्त हो चुकी है, इसलिये आवंटित भूखण्ड का विधिक स्वामित्व एवं आधिपत्य लीज की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार में निहित हो चुका है, जिसका भौतिक कब्जा लिया जाना आवश्यक एवं विधि संगत है।

राजस्थान सरकार द्वारा जो भूमि जयपुर शहर की पैराफेरी क्षेत्रों में स्थित राजस्व भूमियों को शहरी निकायों की सुविधा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो वेस्ट लैण्ड भूमि आवंटित की गई थी उनकी अवधि पूर्ण होने के बाद पुनः अवधि नही बढाने का निर्णय पारित किया गया। इस बाबत नोटिफिकेशन नं0 राजस्थान सरकार के परिपत्र राजस्व विभाग प0 9 (3) /राजस्थान 6/04 दिनांक 8/2/2006 जारी किया गया। तत्पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा लीज डीड के नवीनीकरण पर रोक लगा दी गयी। उक्त आदेश राजस्व ग्रुप 6 विभाग के नोटिफिकेशन नं0 एफ.9

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

(77) Rev VI/2007/16 जयपुर दिनांक 17/6/2008 निश्चित लीज अवधि पर आवंटित की गई। भूमि की लीज अवधि नही बढाकर भूमि वापिस राज्य सरकार द्वारा लिया जाना तय किया जा चुका है।

कुक्कुट पालन के भूखण्ड आवंटन धारियों द्वारा प्रस्तुत एस.बी, सिविल याचिका 309/1997 बउनवान श्याम सुन्दर बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14/11/2008 में प्रतिपादित अनुसार अनाधिकृत कब्जाधारी एवं कुक्कुट पालक जिनके भूखण्ड निरस्त कर दिये गये है, इनको बेदखल कर कब्जा लिये जाने के लिए आदेशित किया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में पोल्ट्री वेलफेयर सोसायटी जयपुर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य एस.बी. सिविल याचिका सं0 11141/2010 में निर्णय पारित कर आवंटित भूखण्डों का कब्जा सम्पदा अधिकारी को लिये जाने के लिये विधि संगत कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर सम्पदा अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर भौतिक कब्जा लेने की कार्यवाही बाबत आदेश हैं।

प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड की लीज दिनांक 22.07.1996 को निरस्त की जा चुकी है एवं निष्पादित लीज अवधि के 25 वर्ष दिनांक 21/06/2002 को समाप्त हो चुकी है, उसके बाद से अप्रार्थी अनाधिकृत अतिक्रमी है।

प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड टू डेयरी, पोल्ट्री एण्ड पिगरी फार्मस रुल्स–1958 के नियम – 7 के अनुसार लीज का नवीनीकरण नही होने से भी आवंटित भूखण्ड भौतिक कब्जा सरकार में लिया जाना विधिक संगत कार्यवाही है तथा अप्रार्थी को लीज निरस्त हो जाने के बाद उक्त भूमि पर अधिकृत कब्जा रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

अप्रार्थी श्री मुंशीराम को आवंटित भूखण्ड सं0–24 के संदर्भ में सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बउनवान मुंशीराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य वाद सं0 25/98 में सिविल न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण कर पारित आदेश दिनांक 25/04/2000 को वाद खारिज किया गया, जिसके अनुसरण में उक्त बेदखली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना न्यायसंगत है। इसी के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.01.2011 के अनुसरण में बेदखली कार्यवाही पेश किया जाना आवश्यक होने से उक्त बेदखली प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

अन्त में अनुतोष चाहा गया है कि भूखण्ड सं0–24 कुक्कुट सम्पदा जामडोली का भौतिक कब्जा विपक्षीगण के जरिये निदेशक पशुपालन को सुपुर्द किये जाने के आदेश विभाग प्रदान करें एवं प्रार्थी को यह भी आदेशित किया जाकर तामीरात को अप्रार्थी अपना कब्जा अपने खर्चे से हटाने के आदेश प्रदान करने का श्रम करें तथा उनके द्वारा नही हटाने पर उनके खर्चे से प्रार्थी को हटाने की स्वतन्त्रता प्रदान किया जाकर उक्त खर्चा राशि अप्रार्थी से प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया जावे। प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ पत्र, आवंटन आदेश, लीज डीड, लीज निरस्तीकरण आदेश, माननीय सिविल न्यायालय के वाद संख्या 25/98 में पारित आदेश दिनांक 25/04/2000 की प्रति, नोटिफिकेशन रेवेन्यू विभाग दिनांक 17.6.2008 संलग्न किये गये है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मो. असलम ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी/अधिवक्ता की ओर से दिनांक 25.01.2011 को पेश जवाब में कथन किया कि प्रकरण में याचिका सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। प्रस्तुत याचिका आदेश 6 नियम 15 जाप्ता दीवानी की प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। बेदखली की कार्यवाही किए जाने से पूर्व विपक्षी प्रत्यर्थी की किराएदारी विधि के प्रावधानों के अनुसार नोटिस दिया जाकर समाप्त नहीं की गई है। प्रकरण में विपक्षी ना तो unauthorized occupant है ना ही अतिक्रमी हैं। मूलतः प्रश्नगत लीज राज्य सरकार की योजना "Half-a-million job" के अनुसार 99 वर्ष की अवधि के लिए लीज शिक्षित बेरोजगारी व मुर्गी पालन व्यवसाय की उन्नति के उद्देश्य से भारत सरकार की परियोजना की अनुपालना में सरकार द्वारा बनाई गई थी तथा इसी उद्देश्य से मुर्गी फार्म कुक्कुट सम्पदा में प्रारम्भ में 25 वर्ष की लीज अवधि बढाने का स्पष्ट आश्य लीज के दोनों पक्षों के मध्य था तथा इसी मूल भावना से लीज डीड की शर्तों के अनुसार लीजधारक को लीजशुदा भूखण्ड पर अपनी रिहायश हेतु रिहायशी मकान बनाने का भी प्रावधान रखा था तथा इस बाबत स्वयं राजस्थान सरकार की नीति के अनुसार निदेशक पशु पालनविभाग द्वारा अपने पत्रांक 1226–28 दिनांक 17.01.2009 द्वारा जयपुर व कोटा स्थित कुक्कुट सम्पदा के भूखण्डों को उनके आवंटित सदस्यों को सक्षम स्वायत्तशाषी संस्था (नगर विकास न्यास/जयपुर विकास प्राधिकरण) के सहयोग से MOU तैयार कर भूखण्डों को लीज धारक सदस्यों को निस्तारित करने हेतु नीतिगयोजना भी बनाई गई थी तथा उत्तरदाता प्रत्यर्थी ने मौखिक

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

रूप से इस बाबत अपनी सहमति विभाग को दे दी थी तथा इसी अनुसार कोटा की कुक्कुट सम्पदा के लीज धारकों की लीज अवधि 25 वर्ष के लिए बढा दी गई तथा इस बाबत जयपुर नगर में जो कुक्कुट सम्पदा में लीजधारक थे, उनसे इस बाबत नीतिगत चर्चा भी चल रही थी कि लीज अवधि को 25 वर्ष हेतु बढाया जाए या भूखण्डों को योजनानुसार लीजधारकों को विक्रय अथवा अन्यथा आवंटित कर दिया जाए व कब्जे को नियमित किया जाए। इस बाबत लीजधारकों की यूनियन व राज्य सरकार के मध्य चर्चा भी लंबित है। उक्त के संबंध में राज्य सरकार के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में रिट याचिका भी लंबित है। अर्जीदार लीजकर्ता द्वारा उत्तरदाता लीजधारक की लीज नियमानुसार समाप्त नहीं की गई है तथा धारा 106 टीपी एक्ट के नोटिस के अभाव में टीनेन्सी समाप्त किए बिना याचिका चलने योग्य नहीं है। संपत्ति भूखण्ड लीज अनुबन्ध के अन्तर्गत परिसर की परिभाषा में नहीं होने के कारण कार्यवाही राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि अधिनियम के तहत चलने योग्य नहीं है अपितु उक्त संपत्ति कृषि भूमि होने के कारण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व न्यायालय के तहत चलने योग्य नहीं है। प्रकरण में धारा 4 (1) के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है जो कि न्यायानुकूल धारा 4 (2) के तहत नोटिस जारी किए जाने से पूर्व आवश्यक है। अतः याचिका अर्जीदार बाबत बेदखली विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यय सहित निरस्त की जाये।

तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान भी अप्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित रहे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि पशुपालन विभाग को 76 एकड भूमि जामडोली में कुक्कुट शाला के लिये राज्य सरकार द्वारा आंवटन की गई थी जिसका आदेश क्रमांक प0/(1)(8) राज0/3/72 दिनांक 3/4/1972 एवं आदेश क्रमांक एफ–16(17)/3/73 दिनांक 21.8.1976 एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी आदेश एवं आवंटित भूमि कुक्कुट सम्पदा जामडोली के नाम जमाबंदी में है, जिसके अनुसार ग्राम जामडोली तहसील जयपुर में ख0न0 473, 474, 475, 476, 477 की 121 बीघा 16 बिस्वा भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रार्थीगण में निहित था। यह राजस्थान सरकार की ओर से निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा मिलयन रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कुक्कुट पालकों को कुक्कुट सम्पदा जामडोली आगरा रोड, जयपुर में कुक्कुट पालन के रोजगार हेतु सस्ती दर पर 25 वर्ष की लीज अवधि के लिये 1500–1500 वर्ग मीटर के भूखण्ड आवंटित किये गये थे। अप्रार्थी श्री मुंशीराम के नाम भी भूखण्ड संख्या–24 जरिये आदेश एफ.वी. 8(19)विकास/65/14609–12 दिनांक 07.12.1976 को आवंटित किया गया। उपरोक्त आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर है। प्रार्थी एवं विभाग के मध्य निष्पादित लीज डीड की शर्तों की पालना दोनों पक्षों को अक्षरशः करनी थी, दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित लीज डीड दिनांक 22/06/1977 से 25 वर्ष की अवधि के लिये दिया गया था एवं लीज की शर्तों की अवहेलना करने पर लीज निरस्त करने का विधान स्थापित है। जिसके अनुसरण को अप्रार्थी द्वारा लीज की शर्तों की पालना नहीं करने पर लीज दिनांक 22.07.1996 निरस्त कर दी गई थी। इसी के साथ उक्त आवंटित भूखण्ड सं0 24 की लीज अवधि दिनांक 21/06/2002 को समाप्त हो चुकी है, इसलिये आंवटित भूखण्ड का विधिक स्वामित्व एवं आधिपत्य लीज की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार में निहित हो चुका है। राजस्थान सरकार द्वारा अवधि पूर्ण होने के बाद पुनः अवधि नही बढाने का निर्णय पारित किया गया। इस बाबत नोटिफिकेशन नं0 राजस्थान सरकार के परिपत्र राजस्व विभाग प0 9 (25)/राजस्थान 6/04 दिनांक 8/2/2006 जारी किया गया। तत्पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा लीज डीड के नवीनीकरण पर रोक लगा दी गयी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में पोल्ट्री वेलफेयर सोसायटी जयपुर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य एस.बी. सिविल याचिका सं0 11141/2010 में निर्णय पारित कर आवंटित भूखण्डों का कब्जा सम्पदा अधिकारी को लिये जाने के लिये विधि संगत कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर सम्पदा अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर भौतिक कब्जा लेने की कार्यवाही बाबत आदेश हैं। प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड टू डेयरी, पोल्ट्री एण्ड पिगरी फार्मस रूल्स–1958 के नियम – 7 के अनुसार लीज का नवीनीकरण नही होने से भी आवंटित भूखण्ड भौतिक कब्जा सरकार में लिया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी श्री मुंशीराम को आवंटित भूखण्ड सं0–24 के संदर्भ में सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बउनवान श्री मुंशीराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य वाद सं0 25/98 में सिविल न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण कर पारित आदेश दिनांक 25/04/2000 वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जा चुका है। अतः भूखण्ड सं0 24 कुक्कुट सम्पदा जामडोली का भौतिक कब्जा विपक्षीगण के जरिये निदेशक पशुपालन को सुपूर्द किये जाने के आदेश विभाग प्रदान करें।

राजस्थान सरकार द्वारा आदेश प.2(23)/पपा/2010 दिनांक 03–08–2010 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर को सम्पदा अधिकारी नियुक्त किया गया।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

हमने अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन कर पाया कि राजस्थान सरकार की ओर से निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा मिलयन रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कुक्कुट पालकों को कुक्कुट सम्पदा जामडोली आगरा रोड, जयपुर में कुक्कुट पालन के रोजगार हेतु सस्ती दर पर 25 वर्ष की लीज अवधि के लिये 1500–1500 वर्ग मीटर के भूखण्ड आवंटित किये गये थे। अप्रार्थी श्री मुंशीराम के नाम भी भूखण्ड सं0–24 जरिये आदेश आवंटित किया गया। अप्रार्थी द्वारा लीज की शर्तों की पालना नहीं करने पर लीज दिनांक 22.07.1996 निरस्त कर दी गई। साथ ही आवंटित भूखण्ड सं0–24 की लीज अवधि दिनांक 21/06/2002 को समाप्त हो चुकी है, इसलिये आवंटित भूखण्ड का विधिक स्वामित्व एवं आधिपत्य लीज की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार में निहित हो चुका है। आदेश राजस्व ग्रुप–6 विभाग के नोटिफिकेशन नं0 ए0–9 (77) Rev VI/2007/16 जयपुर दिनांक 17/6/2008 निश्चित लीज अवधि पर आवंटित की गई। भूमि की लीज अवधि नही बढाकर भूमि वापिस राज्य सरकार द्वारा ली जाना तय किया जा चुका है। अप्रार्थी श्री मुंशीराम को आवंटित भूखण्ड सं0–24 के संदर्भ में सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बउनवान श्री मुंशीराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य वाद सं0 25/98 आदेश दिनांक 25/04/2000 को वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जा चुका है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की एस.बी. सिविल याचिका सं0 11141/2010 में निर्णय दिनांक 07.01.2011 में आदेश दिया है कि "However it will not preclude the respondents from taking action before the Estate Officer in accordance with law and the petitioners at the same time will also be at liberty to raise objections available to them" उक्त न्यायिक निर्णय के परिपेक्ष्य में पशुपालन विभाग द्वारा राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त एस्टेट ऑफिसर के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना आवश्यक भी है। हम पत्रावली में ऐसा कोई कथन या दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाते हैं, जिससे यह जाहिर हो कि अप्रार्थी द्वारा लीज की शर्तों की पालना की गई है या लीज आवंटन को बहाल किया गया है अथवा लीज अवधि का विस्तार किया गया है। साथ ही अप्रार्थी के कब्जे की भी पुष्टि नहीं होती है और यदि अप्रार्थी का कब्जा मान भी लिया जाये तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में शुमार होता है। ना ही यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी वैध तरीके से विवादित भूमि पर काबिज है। पत्रावली के समस्त दस्तावेजों से तथा अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा बहस में दिये गए तर्कों से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी बिना किसी विधिक अधिकार के लीज आवंटन व अवधि समाप्त होने के बाद उक्त भूखण्ड पर अवैध रूप से काबिज है। निष्पादित लीज अवधि के 25 वर्ष दिनांक 21/06/2002 को समाप्त हो चुके हैं, उसके बाद से अप्रार्थी अनाधिकृत रुप से काबिज माना जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर जयपुर शहर की पैराफारी क्षेत्रों में स्थित राजस्व भूमियों को शहरी निकायों की सुविधा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवंटित भूमि की लीज अवधि न बढाने का निर्णय लिया गया है। (नोटिफिकेशन न. 9(25)/राज./6/2004/4 दिनांक 8.2.2006 तथा एफ0–9 (77) रेवेन्यु 6/2007/16 जयपुर दिनांक 17/6/2008) इन अधिसूचनाओं के जारी होने के बाद अब इन आवंटन को एवं इनकी लीज अवधि को आगे बढाया जाना संभव नहीं है तथा भूमि को वापस राज्य सरकार द्वारा लिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

ऐसी स्थिति में विवादित भूमि भूखण्ड संख्या–24 पर अप्रार्थी का कब्जा नियम विरूद्ध है तथा अप्रार्थी का कब्जा अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी लीज डीड समाप्त होने के उपरान्त भी विवादित भूखण्ड पर अवैध रूप से काबिज है। दौराने प्रकरण के विचारण अप्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से यह भी पुष्ट है कि अप्रार्थी इस बाबत कोई अनुतोष अब नहीं चाहता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी को विवादित भूखण्ड संख्या–24 से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तदनुसार फॉर्म "B" में आदेश जारी हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।